हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

की

ऑडिट रिपोर्ट

अवधि

वर्ष 1999–2000

237

Scanned with CamScanner

स्था०प०41/4-4-2002

(236) (10)

मुख्याध्यक्ष / सचिव (...)
विकास प्राधिकरण हरिद्वार

(22/17)

8/17 ...उत्तरांचल देहरादून
सम्परीक्षा आख्या - भाग -प्रथम

...का नाम:- हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार

...क्षा अवधि:- 1999-2000

...:- आलोच्य अवधि में निम्नलिखित महानुभाव प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सचिव के पद पर आसीन रहे।

...के नाम	पद नाम	कार्य काल
1-श्री राजकुमार सिंह	उपाध्यक्ष	1.4.99से17.4.99 तक
2-श्री आनन्द मोहन द्विवेदी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी हरिद्वार	तदैव	17.4.99के अपरान्ह से 22.4.99 तक
3-श्रीमती आराधना शुक्ला जिलाधिकारी हरिद्वार	तदैव	22.4.99 के अपरान्ह से 28.4.99 तक
4-श्री राजकुमार सिंह	तदैव	28.4.99 के अपरान्ह से 31.3.2000 तक
5-श्री स्वराज गांगुली	सचिव	1.4.99 से 17.4.99 तक
6-श्रीमती दमयन्ती दोहरे	सचिव	17.4.99 के अपरान्ह से 31.3.2000 तक

सम्परीक्षा का स्वरूप :- उपलेखा सम्परीक्षा

अनिस्तारित सम्परीक्षा आपत्तियों का विवरण

सम्परीक्षा अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनिस्तारित अनुच्छेद	आपत्ति पत्रावली के पद	कुल सम्परीक्षा आपत्तियों की संख्या
1	2	3	4
1993-94	12, 14, 15, 18, 19, 20	-	6
1994-95	21	-	1
1995-96	1।क।।ख।।।।2।।3।।7।	-	5
1996-97	1।क।।।।ख।।।।2।	-	3
1997-98	1।क। 7 टि0	-	2
1998-99	1।1।।2।।3।।4।।5।।6।।7। 8।।9।।10।।11।।।।।12 13 14 15	13	29
योग		-	46

4/2002 ... लेखाधिकारी ... circulate

अनन्त प्रसाद श्रीवास्तव
...

सहायक निदेशक क्रमशः -

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तरांचल देहरादून

सम्परीक्षा आख्या भाग दो ।ख।

संस्था का नाम- हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार

सम्परीक्षा अवधि:- 1999-2000

सम्परीक्षा में पाई गई गम्भीर आपत्तियों का विवरण

क्रमांक	आख्या प्रस्तर एवं विवरण	धनराशि
1	।1।सीमेंट कार्पोरेशन को अधिक भुगतान	
	।2।मकान किराये भत्ते का अधिक भुगतान	12000
	।5। वाहन भत्ते का अनियमित भुगतान	51840
	।7। प्रस्तावित बजट से अधिक भुगतान अनियमित	7560
	।9। असामान्य व्यय	27500
	।10। श्री लक्ष्मी चन्द शर्मा को अनियमित भुगतान	500
	।12। मेसर्स स्वान्तिक कम्पनी को अधिक भुगतान	34338
	।13। मेसर्स जे०एस० चौधरी को अनियमित भुगतान	700
	।14। रोली वेल वाला के कार्य में अनियमित भुगतान	821
	।15।सीमेन्ट एवं अन्य निर्माण सामग्री का समायोजन न किया जाना	1210
		95830
	योग	10414

टिप्पणी:- उपर्युक्त के अतिरिक्त श्री स्वराज गांगुली
वृद्धियां देकर अधिक भुगतान की गणना अपेक्षित है।

अनन्त प्रसाद श्रीवास्तव
वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड प्रथम

सहायक नि
स्थानीय निधि ले
विभाग पौड़ी मं

(110)

(235)

।3।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तरांचल देहरादून

सम्परीक्षा आख्या भाग दो ।ब।

संस्था का नाम:- हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार

सम्परीक्षा अवधि:-
1999-2000

सम्परीक्षा तिथि:-
वर्तमान सम्परीक्षा दिनांक 20.2.2000 को प्रारम्भ होकर दिनांक 31 मार्च 2001 को समाप्त हुई जो संस्था के वित्तीय लेखा वर्ष 1999-2000 के लिये है।

1- सम्परीक्षा में पाई गई उल्लेखनीय आपत्तियां:-

।1। सीमेंट कार्पोरेशन आफ इन्डिया को अधिक भुगतान की गई धन-राशि रू0 12000=00

सीमेंट कार्पोरेशन आफ इन्डिया के बीजक संख्या 16131/15-12-99 बिल संख्या 7113 दिनांक 16 दिसम्बर 1999 द्वारा 2000 सीमेंट के बैगों की आपूर्ति प्राधिकरण को की गई थी सीमेन्ट की दर रू0 130.00 प्रति बैग था इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा रू0 260000=00 का भुगतान किया जाना था पत्रावली के पृष्ठ 19 बाये पृष्ठ पर प्रशासनिक स्वीकृति भी रू0 260000=00 थी किन्तु रोकड़बही दिनांक 24.12.99 को रू0 272000=00 का भुगतान प्रदर्शित किया गया था इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा रू0 12000=00 का अधिक भुगतान सीमेन्ट कार्पोरेशन आफ इन्डिया को किया गया था जिसका समायोजन आलोच्य अवधि के अन्त तक नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में रू0 12000=00 वापसी फर्म से कराई जाये।

।2। मकान किराये भत्ते का अधिक भुगतान रू0 51840=00

अधिष्ठान लेखे की जांच में देखा गया कि ऐसे कर्मचारी जिनको आवासीय सुविधा उपलब्ध थी उनके वेतन से मकान किराये भत्ते की कटौती नियमानुसार नहीं की जा रही थी अपितु मकान किराया भत्ता अधिक आहारित किया जा रहा था और मकान किराये की धनराशि कम भुगतान की जारही थी। वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड दो भाग दो से 4 तथा शासनादेश संख्या जी-1-502/दस-87-219-87 दिनांक 18 अप्रैल 1987 के अन्तर्गत इस प्रकार की व्यवस्था है कि आवासित मकान का मानक किराया अथवा वेतन का 10% जो भी कम हो काटा जायेगा। प्राधिकरण कर्मचारियों को आवंटित मकानों का मानक किराया निर्धारित नहीं किया गया अतएव वेतन से मकान किराये की 10% कटौती की जानी चाहिये किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा था फलतः कर्मचारियों को आर्थिक लाभ प्रदान किया जा रहा था दूसरी तरफ प्राधिकरण आर्थिक क्षतियों का वहन कर रहा था जो प्राधिकरण हित में नहीं था। ।क्रमशः।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	मूलवेतन	वेतन का 10प्रतिशत	वर्तमान में कटौती	अन्तर
1 -	श्री स्वराज गांगुली	11300=00	1130/-	[illegible]	
2-	,, अतुल कुमार उदयाल	9650/-	965/-	600=00	365
3-	,, श्री एस०पी०सिंह	11300=00	1130/-	600=00	450
4-	,, श्री नीरज गुप्ता	9650=00	965/-	620=00	345
5-	,, श्री जे०के०जैन	5875=00	588=00	390=00	209
6-	श्री केशव राम	4750=00	475=00	294=00	161
7-	श्री सुरेश कुमार	3275=00	328=00	198=00	130
8-	श्री एस०एन० पाण्डे	2900=00	290=00	168=00	122
9-	श्री नाहर सिंह	4800=00	480=00	294=00	136
10 -	श्री अनिल कुमार सक्सेना	4500=00	45[illegible]=00	176=00	174
11 -	श्री के०पी० पाण्डेय	3725=00	373=00	236=00	137
12 -	श्री बी०के०राम	3725=00	373=00	236=00	137
13 -	श्री मती मृदुला	3275=00	328=00	198=00	130
14-	श्री सोहन लाल	3275=00	328=00	194=00	134
15-	श्री अशोक तिवारी	2900=00	290=00	168=00	122
16-	श्री ललित कुमार	2660=00	266=00	155=00	111
17-	श्री दमयंती टोहरे	12275=00	1228=00	290=00	938
	योग	[illegible]	9987=00	5667=00	4320=

उपर्युक्त से स्पष्ट था कि मकान किराये में प्रतिमाह 4320 की क्षति प्राधिकरण निधि को रही थी। इस प्रकार आलोच्य अवधि में

महीनों की संख्या		प्रतिमाह क्षति	वर्ष की क्षति
12	×	4320=00	51840=00

की क्षति आलोच्य अवधि में हुई थी।

सम्परीक्षा में अवगत कराया गया कि इस प्रकार की ... आदि ... 1 जनवरी 1996 से है अत: उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाते हुये ... विभागीय गणना कर अधिक भुगतान/क्षति की प्रतिपूर्ति कराकर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाये।

क्रमशः

(13)

स्वराज गांगुली नगर नियोजक को तीन वेतन वृद्धियों का
नियमगत प्रतिवेदन :-

...के अवलोकन से प्रकाश में आया कि विकास प्राधिकरण अलीगढ के ...59/मू0वि0 दिनांक 05 मार्च 1984 द्वारा श्री गांगुली को सहायक नियोजक के पद पर वेतनमान 850-40-1050 द0रो050-1300-60-... 1060-1720 के वेतनमान में नियुक्ति तिथि 5.5.84 को तीन वृद्धियां देकर रू0 970/- पर नियुक्ति की गई थी यह पद केन्द्रियत ...का था अतः विना शासन की स्वीकृति तीन वेतन वृद्धि देकर नियुक्ति ...या जाना अनियमित था इस प्रकार की अनियमितता के लिये विभागीय ...करते हुये वेतन तथा उस पर देय मंहगाई भत्ता मकान किराया ...भत्तों की प्रतिपूर्ति कराई जाये। तथा वस्तु स्थिति से सम्परीक्षा ...अवगत कराया जाये।

(4) श्री वी0के0 शर्मा की सेवा पुस्तिका अपूर्ण होते हुये भी पुनरीक्षित ...में वेतन का भुगतान :- श्री वी0के0 शर्मा की सेवा पुस्तिका
------------------------------- दिनांक 1.4.95 के पश्चात अपूर्ण थी तथा 1.1.96 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित कर वेतन का भुगतान किया जा रहा था। सेवा पुस्तिका का अपूर्ण रखे जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया।

(5) वाहन भत्ते का अनियमित भुगतान रू0 7560=00 की आर्थिक क्षतिः-
----
सम्परीक्षा के समय वेतन देयकों की जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन भत्ते रू0 120.00 के स्थान पर रू0 150=00 प्रति माह की दर से किया जा रहा था इस प्रकार रू0 30/- अधिक भुगतान किया जा रहा था इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 21 थी फलस्वरूप 21x30x12=7560=00

कर्मचारी ... xअधिकxमाहों धनराशि
भुगतान की
सं0

निर्धारित दरों से अधिक भुगतान ...आर्थिक व्यय भार प्राधिकरण पर था। ...के सम्बन्ध शासनादेश सम्परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराया गया अब वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाये।

(2) वाहन भत्ते का भुगतान उस दशा में ही अनुमन्य हो जब कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अपने निजी वाहन से प्राधिकरण के हित में कम से कम 200 कि0मी0 की यात्रा माह में सम्पादित की गई हो तथा वेतन प्रत्येक माह आहरण हेतु इस आशय प्रमाण पत्र वेतन बिलों में संलग्न किया गया हो किन्तु कोई प्रमाण पत्र अभिलेखित नहीं किये गये थे अतएव भुगतान अमान्य था। इसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षित है।

क्रमशः -

22/15

(5)

[illegible] स्वराज गांगुली नगर नियोजक को तीन वेतन वृद्धियों का [illegible]नियमित [illegible] :-

श्री स्वराज गांगुली नगर नियोजक की सेवा [illegible] के अवलोकन से प्रकाश में आया कि विकाश प्राधिकरण अलीगढ के [illegible]59/मू0वि0 दिनांक 05 मार्च 1984 दवारा श्री गांगुली को सहायक नियोजक के पद पर वेतनमान 850-40-1050 द0रो0 50-1300-60- [illegible]060-1720 के वेतनमान में नियुक्ति तिथि 5.5.84 को तीन वृद्धियां देकर रू0 970/- पर नियुक्ति की गई थी यह पद केन्द्रियत [illegible] का था अत: विना शासन की स्वीकृति तीन वेतन वृद्धि देकर नियुक्ति [illegible]या जाना अनियमित था इस प्रकार की अनियमितता के लिये विभागीय [illegible] कराते हुये वेतन तथा उस पर देय मंहगाई भत्ता मकान किराया [illegible] भत्तों की प्रतिपूर्ति कराई जाये। तथा वस्तु स्थिति से सम्परीक्षा [illegible]वगत कराया जाये।

[illegible] श्री [illegible] शर्मा की सेवा पुस्तिका अपूर्ण होते हुये भी पुनरीक्षित - [illegible] में वेतन का भुगतान :- श्री वी0के0 शर्मा की सेवा पुस्तिका दिनांक 1.4.95 के पश्चात अपूर्ण थी तथा [illegible].96 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित कर वेतन का भुगतान किया जा रहा था। सेवा पुस्तिका का अपूर्ण रखे जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया।

(5) वाहन भत्ते का अनियमित भुगतान रू0 7560=00 की आर्थिक क्षति:-

सम्परीक्षा के समय वेतन देयकों की जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन भत्ते रू0 120.00 के स्थान पर रू0 150=00 प्रति माह की दर से किया जा रहा था इस प्रकार रू0 30/- अधिक भुगतान किया जा रहा था इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 21 थी फलस्वरूप 21x30x12=7560=00

[illegible] कर्मचारी [illegible] xअधिकxमाहों धनराशि
भुगतान की
सं0

[illegible] व्यय भार प्राधिकरण पर था। निर्धारित दरों से अधिक भुगतान के सम्बन्ध शासनादेश सम्परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराया गया अब वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाये।

(2) वाहन भत्ते का भुगतान उस दशा में ही अनुमन्य हो जब कर्मचारी/अधिकारी दवारा अपने निजी वाहन से प्राधिकरण के हित में कमसे कम 200 कि0मी0 की यात्रा माह में सम्पादित की गई हो तथा वेतन प्रत्येक माह आहरण हेतु इस आशय प्रमाण पत्र वेतन बिलों में संलग्न किया गया हो किन्तु कोई प्रमाण पत्र अभिलिखित नहीं किये गये थे अतएव भुगतान अमान्य था। इसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षित है।

क्रमशः -

... कर्मचारियों को अग्रिमों की वसूली न किया जाना:-

... सम्परीक्षा के समय देखा गया कि श्री वेद प्रकाश ... पत्रांक संख्या 2004/प्रशा-1 (ख)-31/94-95 दिनांक 23. ... रु0 ...0/= का ... अग्रिम स्वीकृत किया गया था। जिसकी ... मासिक किस्त और 50 किस्तों में मूलधन तथा देय ... किस्तों में वापस किया जाना था किन्तु 24 किस्तों के पश्चात ... मूलधन की नहीं जमा की गई इस प्रकार 26x280=7488/= मूलधन ... पर देय ब्याज की वसूली नहीं की जा रही थी जिससे ... वापसी न किये जाने पर रु0 3.5% दण्ड ब्याज भी देय होगा ...

इसी प्रकार श्री चन्द्र मोहन अग्रवाल अवर अभियन्ता ... पत्रांक संख्या -9822/प्रशासन -1 (ख)-19/87 दिनांक 26 अप्रैल 19... रु0 35000/= का भवन अग्रिम स्वीकृत किया गया था जिसकी वापसी ... मासिक किस्तों में रु0407/= थी इनके द्वारा 43 वीं अन्तिम किस्त ... 18.2.96 को जमा की गई थी इस प्रकार 77 किस्तों की धनराशि ... के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई वस्तु स्थिति से अवगत कराया ...

टिप्पणी:-

-------- सम्परीक्षा के समय यह भी देखा गया ... अग्रिमों का लेखा अग्रिम पंजिका में नहीं किया गया था जब अग्रिम से ... वसूली का लेखा तैयार किया जाना चाहिये था।

(7) अनानुमोदित व्यय :-

-------------- बजट से सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन ... हुआ कि अनेक मदों पर वित्तीय लेखा वर्ष 1999.2000 हेतु स्वीकृत ... अनेकों मदों पर स्वीकृत बजट की धनराशि से अधिक व्यय किया गया ... स्वीकृति का कोई महत्व नहीं रह गया था यह स्थिति सम्बन्धित लेखे ... होकर उसके सुधार में बाधक थी। स्वीकृत बजट की धनराशि से अधिक ... भुगतान अमान्य था। विवरण निम्नवत उदाहरणार्थ स्वरूप था।

क्रमांक	व्यय से सम्बन्धित मद	प्रस्तावित धनराशि लाख रु0में	वास्तविक व्यय लाख रु0में	अधिक ... धनराशि लाख रु0 ...
-	अवकाश नवीनीकरण एवं पेंशन	1.75	2.98	01.23
	भवन अनुरक्षण	2.50	2.51	0.01
	अतिथि सत्कार	0.50	0.51	0.01
	विज्ञापन	2.00	2.01	0.01
-	विद्युत व्यय	0.50	1.26	0.76
6-	अस्थाई अग्रिम	1.00	1.51	0.51
7-	पेट्रोल डीजल	3.50	3.72	0.22
		11.75	14.50	2.75

...द्वारा आबंटित भूखण्डों को समय से किस्तों का भुगतान न ...जाने पर निरस्त न किया जाना :-

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं ...र्गत आबंटित भूखण्डों से सम्बन्धित मांग एवं समाहरण पंजिकाओं के ...न से विदित हुआ कि आबंटियों द्वारा निर्धारित तिथि पर त्रैमासिक ...ों किस्तों का भुगतान न किये जाने के फलस्वरूप भूखण्डों को निरस्त कर ...आबंटन की कार्यवाही नहीं की गई थी यह स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक ...त और प्राधिकरण प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता।

...णार्थ:-

...योजना का नाम	आबंटी का नाम	बकाया किस्तों की संख्या	धनराशि	दिनांक तक बकाया
2	3	4	5	6
...श्याम लोक कालोनी एम.आई.जी.-9	श्री हेरम्ब मिश्र पुत्र श्री ...क प्रसाद	8	179154=00	दिसम्बर 2000
...आय ए	श्रीमती सरोज सिंह सचिव रा...कुंठा	11	1820547=00	तदैव
	श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा	7	105370=00	फरवरी 2001
...एम-38	श्रीमती रोहणी शर्मा	6	140392=00	तदैव
...एच-16 ...शिव लोक-2	श्री विजय पाल वर्मा	49	52069=00	जनवरी 2001
ई-36 ए ...-एच-3सी	श्रीमती संतोष कश्यप	12	334260=00	दिसम्बर 2000
...-एम-7ए	श्री प्रबल चौधरी	अज्ञात	177540=00	दिसम्बर 2000

टिप्पणी:- इसी प्रकार से अन्य भूखण्ड/भवनों के स्थिति ...की सम्भावना थी।

क्रमशः

ः9ः श्री राजीव दिक्षित सहायक अभियन्ता द्वारा समायोजित अ...
की धनराशि अमान्य रू0 5000-00

पत्रावली के अवलोकन से ...
विशेष सचिव आवास उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्रांक संख्या ...
30 दिसम्बर 1999 द्वारा मांग कुछ सामग्रियों की मांग की ...
प्रेषित किया गया था कि उनके निजी सचिव श्री राजेन्द्र सि...
उपलब्ध करायी जाये श्री राजीव दिक्षित द्वारा निम्नलिखित किये गये ...
अस्थाई अग्रिम के परिप्रेक्ष्य में समायोजित किये गये दिखाये गये ...
पर सभी सुविधाये उपलब्ध हैं तथा शासन स्वयं ही अपने ...
अधिकारियों एवं जनता को उपलब्ध कराती है ऐसी स्थिति में रू0 ...
अस्थाई अग्रिम का समायोजन अमान्य था जिसकी प्रतिपूर्ति श्री ...
जाये।

समायोजन का विवरण	धनराशि
1- बिल संख्या 1177 दिनांक 30.12.99 द्वारा फोटो स्टेट जनता स्टेनर्स नरही बाजार लखनऊ	1760=00 फोटो ...
2- बिल संख्या 1080 दिनांक 30.12.99 मेसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रिक कम्पनी रामतीर्थ मार्ग नरही लखनऊ	3240=00 दो इ... लाइट ... सम्बन्ध...
योग 5000=00

ः10ः श्री लक्ष्मी चन्द्र शर्मा को भुगतान रू03,43,383=40

सम्परीक्षा के समय देखा गया ...
श्री लक्ष्मी चन्द्र शर्मा को प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन पार्कों की देखरेख ...
मालियों का कार्य कराने के सम्बन्ध में आलोच्य अवधि में प्राधिकरण निधि ...
रू0 343383=00 का भुगतान किया गया था उक्त भुगतान श्री शर्मा को ...
श्री मेश्वर राठी सुपरवाइजर की संस्तुति के आधार पर किया जाता है ...
सम्परीक्षा के समय यह भी देखा गया कि श्री राठी द्वारा ...
रजिस्टर रखा गया था जिसमें व्यक्तियों के नाम अंकित थे तथा उनकी ...
उपस्थित लगाई जाती थी भुगतान के समय यह उल्लेख किया जाता था कि ...
मालियों द्वारा उक्त अवधि में कार्य किया गया वास्तव में मालियों द्वारा ...
... किये गया कोई उल्लेख नहीं था यह स्थिति सम्पूर्ण वर्ष ...
... तिमाह श्री लक्ष्मीचन्द्र शर्मा द्वारा बिल प्रस्तुत किया जाता ...
और श्री राठी द्वारा भुगतान एवं कार्य की संस्तुति की जाती रही ...
आलोच्य अवधि में श्री राठी एवं श्री शर्मा के सद्व्यवहार से ...

अनिल कुमार सक्सेना
कार्यालय अधीक्षक

191

किया गया इसकी उत्तरदाई कर्मचारी के प्रति अनुशासनात्मक अपेक्षित है।

12। श्री शर्मा के बिलों से आय कर की कटौती भी नहीं की राजस्व की क्षति हुई।

13। इसी प्रकार रोकड़बही दिनांक -7·12·99 के अनुसार ...2/= का भुगतान श्री राठी को उनके द्वारा निजी व्यय करके ...रु0 खाद क्रय की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया था पत्रावली ...था कि मेरे द्वारा श्री अरविन्द कुमार से खादय क्रय की गई है ...द्वारा भुगतान किया गया था।श्री कामेश्वर राठी प्राधिकरण में ...निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे खाद क्रय करने पूर्व श्री राठी द्वारा ...के संज्ञान में यह तथ्य नही लाया गया था कि खाद की आव... है तथा इस खाद का उपयोग कहां किया जायेगा इन तथ्यों के ...में प्राधिकरण अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति के भुगतान अमान्य था ...प्रतिपूर्ति श्री राठी उदयान निरीक्षक से अपेक्षित है।

...पी०आर०एन·एन· को रु0 1297000/= का अग्रिम भुगतान:-

...मुख्य विकास हरिद्वार के पत्रांक संख्या 94 दिनांक -...4·99 जो उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण को सम्बोधित था ...र्माण से सम्बन्धित6 कार्य स्वीकृत किये गये थे। जिसके क्रमांक 1 पर ...प्राधिकरण नगर निकास अभिकरण के सहयोग से भल्ला इंटर कालेज ...पन्नालाल भल्ला म्यु0इन्टर कालेज हरिद्वार। हरिद्वार के प्रागण में ...सामुदायिक हाल निर्माण किये जाने सम्बन्धित था इस सामुदायिक हाल ...निर्माण कार्य का मानचित्र रु.की विश्वविद्यालय रूड़की से तैयार कराया ग...या जब कि प्राधिकरण में तंकनीकी अधिकारी कार्यरत थे ऐसी स्थिति में ...रूड़की विश्वविद्यालय से मानचित्र बनाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया ज...ाये। चूंकि जिस स्थान पर निर्माण कार्य कराया जाना था वह भूमि नगर-...पालिका की थी नगर पालिका हरिद्वार के कार्यालय पत्रांक संख्या 107-...एस टी/99-2000 दिनांक 29·4·99 द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी के आवास ...कम्पाउण्ड की भूमि प्राधिकरण द्वारा प्रेषित मानचित्र के अनुसार बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 6·3·99 पारित प्रस्ताव संख्या 49 द्वारा इस शर्त के साथ दी गई थी कि विकास प्राधिकरण द्वारा आडोटोरियम हाल का निर्माण कराया जायेगा किन्तु इसका स्वामित्व,रख रखाव का दायित्व एवं अनुरक्षण एवं आवंटन का दायित्व अधिकार नगर पालिका का रहेगा । प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक हाल निर्माण के लिये निविदायें आमंत्रित की गई और इस कार्य को यू·पी·आर·एन एन को निर्माण हेतु दिया गया। प्राधिकरण द्वारा प्रबन्धक यू·पी· आर एन एन को अग्रिम के रु0 1297000/- की धनराशि भी दे दी गई बिना कार्य किये हुये अग्रिम धनराशि के भुगतान किये जाने का कोई औचित्य स्पष्ट नही किया गया । प्राधिकरण द्वारा तथा यू पी आर एन एन के मध्य किये गये अनुबन्ध को भी नहीं दिखाया गया ।

क्रमशः

॥2॥ नगर पालिका में प्राधिकरण को जिन शर्तों के अधीन
पर तहबाजारी हाल निर्माण कराये जाने की अनुमति प्रदान की
प्राधिकरण निर्माण कार्य में किये गये व्यय के लिये कोई भी
किया गया, जिसका पंजीकरण हेतु आवश्यक था क्योंकि प्राधिकरण
के [illegible] जा सकती है।

॥2॥ [illegible] स्वास्तिक कान्स्ट्रक्शन कम्पनी को भुगतान
[illegible] का भुगतान रू0 7000/= अर्थ दण्ड वसूल न [illegible]

सम्परीक्षा में प्रस्तुत की गई पत्रावली के अवलोकन से
विदित हुआ कि प्राधिकरण मुनिकी रेती, ऋषीकेश में सीवर लाइन
कार्य के लिये जिसके अन्तर्गत रू0 44327=00 वर्क चार्ज एवं कन्टि.
करते हुये रू0 1525323=00 का प्राकलन तैयार किया गया था
प्राधिकरण द्वारा इस कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित की गई
बनाये गये प्राकलन से क्रमशः 22%, 20% एवं 22% प्राकलन से
अधिक की प्राप्त हुई अतः प्राधिकरण द्वारा इन निविदाओं को
कर दिया गया पुनः निविदायें आमंत्रित करने पर भी तीन निविदायें
प्राप्त हुई जिसमें मैसर्स स्वास्तिक कान्स्ट्रक्शन कम्पनी की निविदा
किन्तु प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीयत ठेकेदार नहीं थे किन्तु प्राधिकरण
द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की गई थी कि एक सप्ताह
प्राधिकरण में पंजीकरण कराके वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
कम्पनी द्वारा अपने को किस तिथि को पंजीकरण कराया पत्रावली
कोई उल्लेख नहीं था। फर्म द्वारा/7.5.99 को कार्य प्रारम्भ कर
तक समाप्त करना था फर्म द्वारा समय से कार्य समाप्त न कर सके
समय वृद्धि की मांग की गई जिस पर उपाध्यक्ष हरिद्वार के आदेश
पत्रावली के पृष्ठ 6 के दायें पृष्ठ पर रू0 7000/= का अर्थ दण्ड
दिनांक 30.11.99 तक की समय वृद्धि की गई किन्तु ठेकेदार
समय से कार्य पूरा न कर पाने पर पुनः समय वृद्धि की मांग की गई

पर उपाध्यक्ष ने पुनः रू0 5000/= का अर्थ दण्ड लगाते हुये दिनांक
तक समय वृद्धि की गई इस प्रकार उपाध्यक्ष द्वारा रू0 12000/= का
लगाया गया, किन्तु प्राधिकरण द्वारा मैसर्स स्वास्तिक कम्पनी पर
7000/- का अर्थ दण्ड फर्म से वसूल कर सम्बन्धित उत्तरदाई कर्मचारी
विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये। अपंजीयत ठेकेदार से कार्य कराया
जाना भी अनियमित था।

॥3॥ हरिलोक योजना के अन्तर्गत मैसर्स जे0एस0चौधरी को रू0 [illegible]
का अनियमित भुगतान:-

हरिलोक योजना के अन्तर्गत
[illegible] निर्माण कार्यों के लिये प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही
मैसर्स जे0एस0चौधरी की निविदा रू0 198471[illegible] की स्वीकृति
की गयी, ठेकेदार द्वारा दिनांक 14.10.99 को अनुबन्ध किया गया

231

23/10

::11::

तिथि को ही ठेकेदार द्वारा यह अवगत कराया गया कि सम्बन्धित
गड्ढों में भरे योजना के सीवर एवं वर्षा का जल निकालने हेतु
वाटरिंग जिसके अन्तर्गत मेन होल से पानी निकालने में 50 घंटे पम्प
पर रू080/= प्रति घंटे की दर से रू0 4000/= का अतिरिक्त व्यय

पूर्व से खुदे गड्ढों में साइड की कटी मिट्टी जो दूषित जल से
है को बाहर निकालने में सामान्य खुदाई में अतिरिक्त व्यय रू0 4216/=
होगा इस प्रकार स्वीकृत ठेके की धनराशि से प्रथक भुगतान करना होगा।
इस अतिरिक्त व्यय को प्राधिकरण के तकनीकी अधिकारियों
आंकलन में सम्मिलित नहीं किया गया था जब कि ठेकेदार ऐसी
राय ठेकेदार द्वारा प्राधिकरण को दी जा रही थी। इससे स्पष्ट
प्राधिकरण के तकनीकी अधिकारियों द्वारा बिना सर्वे किये तथा किसी
दण्ड विधि के प्राकलन तैयार किया गया था और उसकी स्वीकृति
प्राधिकरण के उच्चअधिकारियों से प्राप्त कर ली गई थी। आलोच्य अवधि में
ठेकेदार को क्रमशः दिनांक 7.12.99 17.1.2000 एवं 27.3.2000 को
रूपये 492712=00 319842=00 एवं 525426=00 कुल रू01338180/=
भुगतान किया जा चुका था। तथा ठेकेदार द्वारा उक्त दोनों कार्यों के
दिये गये अतिरिक्त व्यय रू04000=00+4216=00कुल रू08216/= को
प्राधिकरण द्वारा मान्य ठहरा दिया गया था जब कि इस धनराशि के लिये
अनुबन्ध में कोई उल्लेख नहीं था। अतः रू08216/= का भुगतान अमान्य था।
इसकी प्रतिपूर्ति उत्तरदाई से कराई जायें।

14. ... घाट पुल की स्पोच से शिव सेतु तक मार्ग

प्रकाश व्यवस्था पर व्यय अनियमित रूपये 123347=83

रोली टेल वाला में गऊ घाट पुल की स्प्रोच से शिव सेतु तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था पर किये गये व्यय में सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन से प्रकाश में आया कि प्राधिकरण द्वारा इस कार्य के लिये अवस्थापना समिति की बैठक दिनांक 21.10.99 को आहूत की गई तथा समिति द्वारा उक्त कार्य कराये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया प्राधिकरण कार्य के लिये रू0 147731=00 का प्राकलन बनाया गया। इस प्राकलन के अन्तर्गत 9.50 मीटर ऊंचे स्टील ट्यूबलर पोल पर सोडियम लाइट लगाये जाने का प्राविधान किया गया था जिसके लिये प्राधिकरण को दो निविदायें प्राप्त हुई जिसमें प्रथम निविदा प्राधिकरण प्राकलन से 14/. निम्न दर पर मैसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्टोर्स प्रा0 लि0 की रू0 123347=83 तथा दूसरी मैसर्स न्यू स्टोर्स प्रा0 लि0 की रू0 123347=83 तथा दूसरी मैसर्स न्यू हरिद्वार इलेक्ट्रिक स्टोर्स से 12/. कम पर रू0 126216=39 की थी। फलतः न्यूनतम रू0123347=83 की निविदा मैसर्स इलेक्ट्रिक स्टोर्स प्रा0 लि0 की स्वीकृत हुई।

क्रमशः

ठेकेदार द्वारा प्रथम चालू भुगतान का बिल प्रस्तुत किया गया
द्वारा रू0 78093=35 दिनांक 31 मार्च 2000 को भुगतान
चूंकि यह कार्य नगर पालिका परिषद हरिद्वार के [illegible] के
और नगर पालिका परिषद द्वारा कुम्भ मेला 1998 में [illegible]
प्रकाश व्यवस्था का कार्य सम्पन्न किया गया था ऐसी स्थिति
द्वारा ऐसा कार्य कराये जाने से प्राधिकरण निधि का दुरुपयोग
से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर दिखाया जाये कि उनके
पर कोई भी प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई थी।

(15) [illegible] एवं अन्य निर्माण सामग्री का समायोजन न किया

95630[illegible]

[illegible] लेखाकार की आडिट रिपोर्ट वित्तीय लेखा
के अवलोकन से विदित हुआ कि प्राधिकरण द्वारा क्रीत निर्माण
अन्तर्गत सीमेंट भी सम्मिलित था का समायोजन लेखा रू0958303=
अवधि के अन्त तक नहीं किया गया था यह स्थिति असन्तोषजनक
के समय प्रत्येक प्रकार के भवन निर्माण सामग्री का लेखा मांगा गया था
लिया गया। इससे स्पष्ट होता है भवन सामग्री का दुरुपयोग किया
स्थिति से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाये।

(16) माननीय जज कम्पाउण्ड में ग्रासिंग तथा वृक्षा रोपण पर व्यय

121000=00

रोशनाबाद स्थिति माननीय जिला जज कम्पाउण्ड में ग्रा
तथा वृक्षारोपण से सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ
की नोट सीटबाये पृष्ठ 1 पर दिनांक 22.10.99 को यह टिप्पणी
कि दिनांक 28.11.99 को माननीय मुख्य न्यायाधीश रोशनाबाद
जजो का उदघाटन करेंगें अतः माननीय जिला जज द्वारा जजि के में

तथा वृक्षारोपण हेतु कहा गया है। इस कार्य के लिये प्राधिकरण द्वारा वृक्षा
हेतु रू0 85990=00 तथा ग्रासिंग कार्य के लिये रू052836=00 का प्रा
किया गया। इसी पृष्ठ पर नोट शीट दिनांक25.10.99 द्वारा
रू01.39 लाख अवस्थापना विकास निधि [illegible]
थी। [illegible] अवस्थापना विकास निधि [illegible] मद से व्यय [illegible]
[illegible] की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रा
स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य सम्पादित कराया गया था अवस्थापना
निधि की आगामी बैठक किस दिनांक को आहूत की गई तथा [illegible]
[illegible] स्वीकृत प्रदान की गई पत्रावली में कोई भी पत्र/ कागजात [illegible]
ऐसी स्थिति में बिना समिति के अनुमोदन के व्यय मान्य न था।
अवगत कराया गया कि शासन द्वारा निर्धारित [illegible] के अनुसार प्रा
विकास क्षेत्रों में पार्कों का निर्माण किया जाये तथा [illegible]
को हस्तांतरित कर दिया जाये सम्बन्धित नीति सम्बन्धी आदेश
[illegible] वृक्षारोपण के प्राक्कलन से विपरीत रू0121000.00 [illegible]
चूंकि उक्त कार्य शासकीय स्तर का था अतः अवस्थापना [illegible]
[illegible] नहीं था।

115

230

27/9

...के परफारमेंस के सम्बन्ध में आवश्यक बिन्दु

कोई ऐसा प्रकरण प्रकाश में आया जिसको इस प्रस्तर में सम्मिलित किया जा सकता ।

...तीय स्थिति:- सम्परीक्षा में प्रस्तुत किये गये लेखा अभिलेखों के आधार ...तक सुनिश्चित किया जा सका आलोच्य अवधि में प्राधिकरण लेख की वित्तीय ...निम्नवत थी। प्राधिकरण द्वारा सम्परीक्षा समाप्ति की तिथि तक आर्थिक ...को अन्तिम रूप प्रदान न किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय आंकड़ो का संकलन ...गणना के आधार पर किया गया है जो प्राधिकरण के तुलनपट, लाभ हानि ..., व्यापार खाता आर्थिक चिट्ठा तैयार किये जाने की स्थिति में संशोधन ...परिवर्तन के अधीन हो सकता है।

विवरण	धनराशि
...1999 को प्रारम्भिक अवशेष	46850043-
...की आय	66800000-
योग	113650043-
...र्ष का व्यय	50993000-
31 मार्च 2000 को बैंक खातों में अवशेष इत्यादि	62657043 "क"
31 मार्च 2000 को बैंक खातें अवशेष	
ओरिन्टियल बैंक आफ कामर्स अग्रिम खाता सं0 .08	15,42294-87
ओरिन्टियल बैंक आफ कामर्स हरिद्वार खाता संख्या 4273	2,75,282 -
ओरिन्टियल बैंक आफ कामर्स खाता संख्या 262	2092494 -58
सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया हरिद्वार खाता संख्या 8000	342320 -97
पंजाब नेशनल बैंक खात संख्या 5738 {अ}	5430423 -08
पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 5738 {ब}	131327 -00
स्टेट बैंक आफ इन्डिया हरिद्वार खाता संख्या- 11137	15,84327-21
स्टेट बैंक आफ इन्डिया हरिद्वार खाता सं0 15531	5,38,848-91
31 मार्च 2000 को बैंक खातों में अवशेष	1,1937,318 - 62 "ख"

टिप्पणी:- आलोच्य अवधि हेतु बैंक समाधान विवरण तैयार नही किया गया था। अब इसे तैयार किया जायेतथा बिन्दु "क" एवं "ख" के अन्तरों को स्पष्ट किया जाये।

{2}

क्रमशः

12: प्राधिकरण द्वारा यह प्रथा अपनाई जा रही थी कि [illegible] एवं बैंक ड्राफ्टों को [illegible] साथ बैंक में संकलन हेतु [illegible] किया [illegible] बैंक द्वारा जिन चैकों एवं बैंक ड्राफ्टों का संकलन कर लिया [illegible] उसका विवरण प्राधिकरण द्वारा चैक/बैंक ड्राफ्ट संख्या वार [illegible] धनराशि का विवरण तैयार नहीं किया जाता था जिससे [illegible] जमा की गई चैक/बैंक ड्राफ्ट को धनराशि एवं असंकलित [illegible] धनराशि स्पष्ट नहीं हो सकी। इस प्रकार की अनियमितता [illegible] प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता [illegible]

13: प्राधिकरण द्वारा वित्तीय लेखा वर्ष 1999-2000 [illegible] को अन्तिम रूप 31 मार्च 2001 के अन्त तक प्रदान न किया जाना वित्तीय नियमों के प्रतिकूल था। आर्थिक चिट्ठे को अन्तिम रूप प्रदान [illegible] का पूर्ण उत्तरदायित्व लेखा विभाग के अधिकारियों का था।

14: प्राधिकरण द्वारा किन-किन बैंकों में खाते रखे गये [illegible] अधिकारियों के आदेश से रखे गये थे इस स्थिति के सत्यापन हेतु [illegible] पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिसमें बैंक खातों की [illegible] स्पष्ट हो तो अब आगामी अवसर पर स्पष्ट किया जाये।

15: पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 2175 की पास बुक [illegible] आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे आलोच्य अवधि में किये गये ब्यवहार की स्थिति स्पष्ट न हो सकी।

16: प्राधिकरण के आय-ब्यय के वित्तीय आंकड़े [illegible] परिशिष्ट "ख" में संदर्भित है।

4- विनियोजनः- प्राधिकरण द्वारा विनियोजित धनराशि रुपये 56575783=00 का विवरण संलग्न परिशिष्ट "छ" में दिया गया है।

टिप्पणी:- परिशिष्ट "ग" में अंकित धनराशि के [illegible] आलोच्य अवधि हेतु अन्य कोई विनियोजन नहीं किया गया था [illegible] जाये।

5- राजकीय अनुदान :- आलोच्य अवधि में प्राप्त, उपभोग [illegible] के अवशेष एवं 31 मार्च 2000 को अवशेष राजकीय अनुदानों का [illegible] परिशिष्टों में दिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है।

Scanned with CamScanner

(229) (116)

1. विधायक निधि तथा सौन्दर्यीकरण अनुदान परिशिष्ट "ग"
2. आई जी एस.एम.टी. राजकीय अनुदान परिशिष्ट "घ"
3. कुम्भ मेला 1998 के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान परिशिष्ट "ङ."

5- टिप्पणी:-

प्राधिकरण द्वारा अनुदान पंजिका अनुरक्षित की गई थी अब इसे अनुरक्षित किया जाये तथा अनुदानों की स्थिति से अवगत कराया जाये।

(2) विधायक निधि के अन्तर्गत अनुदानों की स्थिति लेजर खाते संकलित आधारों पर आधारित है। तथा सौंदर्यीकरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों अन्तर्गत प्राप्त एवं व्यय की स्थिति वर्ष 1998-99 के अधिक चिट्ठे पर आधारित है। आलोच्य अवधि में कोई व्यय नहीं किया गया था।

(3) सम्परीक्षा में देखा गया कि कुम्भ मेला 1898 के लिये शासन द्वारा कुम्भ मेला 1998 के लिये 1998 आयोजित किये जाने हेतु रू0 26534000=00 का राजकीय अनुदान स्वीकृत किया गया था। जिसके परिपेक्ष्य में आलोच्य अवधि के अन्त में रू0 1,1560815=50 अवशेष था जब कि कुम्भ मेला में उपभोग के पश्चात अवशेष धनराशि को शासन को वापस कर दी जानी चाहिये थी क्यों कि कुम्भ मेला हेतु जो कार्य प्रस्तावित थे वह कार्य कुम्भ मेला प्रारम्भ होने के पूर्व ही पूर्ण किये जा चुके होंगे किन्तु प्राधिकरण द्वारा ऐसा नहीं किया गया और अपने अधिकार में रखकर ब्याज अर्जित किया जा रहा था। जो नियमों के प्रतिकूल था।

(4) संलग्न परिशिष्टों में अंकित धनराशियों के अतिरिक्त अन्य कोई राजकीय आवर्तक/अनावर्तक अनुदान आलोच्य अवधि में संस्था को नहीं प्राप्त हुई थी और नहीं उपभोग हेतु अवशेष था इसकी पुष्टि की जाये।

6- राजकीय ऋण:-

प्राधिकरण के ऋणों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

टिप्पणी:-

ऋण पंजिका अनुरक्षित नहीं की गई थी अब अनुरक्षित की जाये।

(2) प्राधिकरण सभी ऋणों का ब्याज सहित प्रतिदान कर दिया गया था इसकी पुष्टि हेतु महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद से लेखा पर्ची अप्राप्त थी (3) अतः महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद से वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाये जिससे स्पष्ट हो सके कि धनराशि अवशेष

7- परिसम्पत्तियाँ तथा दायित्व:-

आलोच्य अवधि हेतु परिसम्पत्ति एवं दायित्व का लेखा नहीं तैयार किया गया था अब इसे तैयार एवं सत्यापित कराके प्रस्तुत किया जाये।

8- सम्परीक्षा शुल्क :-

---------- प्राधिकरण की आलोच्य अवधि की आय 6800000=00 की आय पर राजाज्ञानुसार निर्धारित दरों से 200900/- की सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करते हुये सम्परीक्षा शुल्क निर्गत किया गया था। गत वर्षों की अवशेष सम्परीक्षा शुल्क में चालान संख्या 18 दिनांक 28 मार्च2001 द्वारा रु० 1,50,0[illegible] राजकीय कोषागार हरिद्वार में जमा किया गया था जो आंशिक अतः एवं विगत वर्षों की अवशेष सम्परीक्षा शुल्क तथा आलोच्य में आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि को अविलम्ब राजकीय कोषागार में जमा कर चालान की प्रतियां सम्परीक्षा में उपलब्ध [illegible] इस ओर प्राधिकरण प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया है।

9- निष्कर्ष :-

---------- उपर्युक्त वर्णित मन्तव्यों के अवलोकन से विदित [illegible] कि प्राधिकरण द्वारा रखे गये लेखाओं में प्रयाप्त सुधार एवं देख-रेख [illegible] आवश्यकता थी। आबन्टित भूखण्डों/भवनों की किस्तों को आवंटियों [illegible] समय से जमा न किये जाने के फलस्वरूप भूखण्डों/भवनों को निरस्त न [illegible] जाना, बाह्य भत्ते एवं मकान किराये भत्ते का अनियमित भुगतान, [illegible] विविध अनियमिततायें थी जिसके लिये प्राधिकरण प्रशासन का ध्यान [illegible] किया जाता है।

सम्परीक्षा आख्या के भाग तीन में कोई भी पद नि[illegible] नहीं है।

स्थान :- पौड़ी
दिनांक -3/10/2001
अनन्त प्रसाद श्रीवास्तव
वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-प्रथम

सहायक निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा
पौड़ी मंडल पौड़ी

परिशिष्ट "क" आख्या के प्रस्तर 3 में संदर्भित

वर्ष 1999-2000 में हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार के आय और व्यय की तालिका

क्रम संख्या	स्थानीय निकाय का नाम	1 अप्रैल 99 को प्रा० अवशेष	राजकीय अनुदानों और ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	अनावर्तक राजकीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदान	राजकीय ऋण		वर्ष की सम्पूर्ण आय	प्रारम्भिक अवशेष सहित योग	वर्ष में हुआ व्यय	31 मार्च को अंतिम अवशेष
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(च)	5	6	7	8
	हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार	46850043	65125500	1674500	–	–		66800000	113650043	50993000	62657043
	योग	46850043	65125500	1674500	–	–		66800000	113650043	50993000	62657043

हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार — वर्ष 1999-2000 — ह्या०नि०जे० 105

क्रमांक	आय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	कुल आवर्तक	कुल अनावर्तक अनुदान	संलग्न
	विधायक निधि से प्राप्त	345000	-	345000	
		112500	-	112500	
		108000	-	108000	
		1109000	-	1109000	
	योग	1674500		1674500	

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट "घ" ...

वर्ष 1999-2000 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदानों की तालिका   विधायक निधि

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ की प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अंतिम अवशेष	मंतव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	शासनादेश प्राप्त विधायक निधि	निर्माण कार्य	345000 112500 108000 1109000	28/3/2000	–	1674500	1674500	399667	1274833=00	
	सौंदर्यीकरण अनुदान		–	अज्ञात	10206700 55935.32		102067 55935.32	–	102067=00 55935.32	
					158002.32	1674500	1832502.32			

227

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट "घ" संख्या के प्रस्तार

आई० डी० एस० एम० टी० योजना के अन्तर्गत

वर्ष 1999–2000 के अन्तर्गत हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्र० सं०	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रा० अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अंतिम अवशेष
	1-आई डी एस एम टी शासनादेश अनुपलब्ध	संगठित निकाय योजना	300000	31.3.96					
		एकीकृत निकाय योजना	3533000						
	11 शासनादेश संख्या आ27/9-आ-1-97-63 आई डी एस एम टी/97	संगठित निकाय योजना	11000	9.2.96					
	आ-27/111/9-9-आ-1-97-6 आई डी एस एम टी/97	राज्य अंशदान	1,13000						
					6808639	–	6808639	1793702.65	5014936.35
					6808639	–	6808639	1793702.65	5014936.35

स्था० नि० से०–66

कुम्भ मेला 1998 के अन्तर्गत

वर्ष 1998–2000 के अन्तर्गत हरिद्वार विकास प्राधिकरण अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्र० सं०	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अंतिम अव[शेष]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	403एच/9-1-97 दिनांक 17.7.97	शुष्क शौचालय निर्माण कार्य	3800000	29.11.97	1253000	-	1253000		
		विद्युत कार्य	7850000	4.11.97	7378000	-	7378000		
		टीन शेड	3870000	3.5.98	882000	-	882000		
				..97	1457001	-	1457001		1757185.50

कुम्भ मेला 1998 के अन्तर्गत

वर्ष 1998–2000 के अन्तर्गत हरिद्वार विकास प्राधिकरण अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्र0 सं0	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अंतिम अव0
1	2	३	4	5	6	7	8	9	10
	403एफ/9-1-97 दिनांक 17-7-97	शुष्क शौचालय निर्माण कार्य	3800000	29-11-97	1253000	-	1253000		
		विद्युत कार्य	7850000	4-11-97	7378000	-	7378000		
		टीन शेड	3870000	3-5-98	882000	-	882000		
	शासकीय आदेश अप्राप्त 775 के/9-1-97-30एच के एम 97 दिनांक 2-12-97	भारत माता मंदिर रोड निर्माण हेतु	4627000	29-5-97	1457001	-	1457001	1757185-50	
	1234 के/19-1-18-10 एच के0एम0/97 दि0 23-1-98	रूडकी लश्कर सड़क मार्ग हेतु	20,00000	17-3-98	3011000	-	3011000		
	1223 के/9-1-97-98 दिनांक 13-2-98	जगदीश पुर रोड निर्माण कार्य	2898000	3-3-98	663000	-	663000		
	1403 के 9-1-98-10 एच के0एम0 तिथि स्पष्ट	रूडकी लश्करसड़क मार्ग	1489000	अज्ञात	अज्ञात	-	अज्ञात		
				[illegible]	13318001	-	13318001	1757185-50	

226

22/53

	प्रयोजन	धनराशि	तिथि	प्रा० अवशेष मूलधन	ब्याज	प्राप्त ऋण	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1-आवास अनुभाग 23-542/37-1-86-14 टी कैपिटल-86 दि० 11.8.86	आवास निर्माण	2500000=	23.8.86	1500000	–	–	1500000	–	1500000	229167	शून्य	[illegible]
2-पर्वतीय विकास अनुभाग शासनादेश संख्या 928/28.1.12/171/86 दिनांक 30.3.87	तदैव	1500000	31.3.87	900000	–	–	900000	–	900000	103500	–	
3-आवास अनुभाग/3275/37-1-88-18 ई डब्लू एस दिनांक 11.88	तदैव	564400	25.3.88	338640	–	–	338640	–	338640	38944	शून्य	
4-आवास अनुभाग-2/3678-9 आ-40-बजट 95 दिनांक 2.9.95 रोड कैपिटल	तदैव	2500000	1.1.96	2500000	–	–	2500000	–	2500000	362500	शून्य	[illegible]

हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार के विनियोजन का [illegible]

क्रमांक	विनियोजन का विवरण	विनियोजन की अवधि	धनराशि	मन्तव्य
1.	ओ०बी०सी० [illegible] प्रमाण पत्र संख्या 802233 दिनांक 8-7-99	8.7.99 से 8.7.2000	5000000	पुर्नविनियोजन के भौतिक रूप से प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं किया जा सका ।
2	ओ०बी०सी० ज्वालापुर प्रमाण पत्र संख्या 323405 दिनांक 8.7.99	8.7.99 से 8.7.2000	5000000	
3.	ओ०बी०सी० कनखल प्रमाण पत्र संख्या 200458 दिनांक 10-1-2000	10.1.2000 से 10.1.2001	3137286	पूर्व विनियोजन के कारण सत्यापन नहीं किया जा सका ।
4.	ओ०बी०सी० कनखल C2000457 प्रमाण पत्र संख्या दिनांक 15-1-2000	15.1.2000 से 15.1.2001	5228809	पुर्नविनियोजन के कारण भौतिक रूप से सत्यापन नहीं किया जा सका ।
5.	ओ०बी०सी० हरिद्वार 0236168 प्रमाण पत्र संख्या 31.1.2000	31.1.2000 से 31.1.2002	10000000	
6.	ओ०बी०सी० हरिद्वार प्रमाण पत्र संख्या 0629523 दिनांक 7.3.2000	7.3.2000 से 7.3.2001	6000000	ओ०बी०सी० [illegible] प्रमाण पत्र संख्या 802153, 8022154 एवं 802155 क्रमशः रू0 1889432, 1989432, 1989432 के स्थान पर पाश्र्वांकित धनराशि विनियोजित की गई थी जिसे परिपक्व तिथि पर पुनः विनियोजित किया गया ।
7.	ओ०बी०सी० हरिद्वार प्रमाण पत्र संख्या 0629686 दिनांक 27.3.2000	27.3.2000 से 27.3.2001	10000000	पंजाब एण्ड सिंध बैंक में पूर्व विनियोजन संख्या 099503 एवं 099504 क्रमशः रू0 7204226 एवं 7159149 के स्थान पर पाश्र्वांकित धनराशि का विनियोजन किया गया था ।

3.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक ड्राफ्ट पत्र संख्या 099466 दिनांक 13.3.99	13.3.99 से 13.6.2000	7813693
	योग	56579788

Scanned with CamScanner

क्रमांक स्वीकृत अनुदान

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-विधायक निधि			345000 112500 108000 1109000 1674500	28.3.2000	-	1674500	1674500	[illegible]	[illegible]
2-सौंदर्यीकरण अनुदान			1,10000	अज्ञात	102067=00	-	102067=00	अज्ञात	102067=00
3. सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु अनुदान			अज्ञात		55935=32		55935=32	अज्ञात	55935.32
					158002=32			399667	1432835=32
					1674500	1832502=32			

टिप्पणी:-(1) क्रमांक 1 पर अंकित विधायक निधि के अन्तर्गत अनुदान जो प्राप्त हुआ उसका व्यय लेजर खाते के अनुसार है। शासनादेश प्रस्तुत किये करने तक अनन्तिम है।

(2) इसी प्रकार 2व3 पर अंकित धनराशि का अवशेष 1.4.99 को आर्थिक चिट्ठे के अनुसार अवशेष दिखाया गया लेजर के अनुसार व्यय की धनराशि स्पष्ट की जाये।

(3) वर्ष 1999-2000 के क्रमांक 2व3 पर अंकित व्ययों की स्थिति स्पष्ट न हो सकने के कारण अवशेष 1.4.99 को 31.3.2000 के अवशेष माना गया है।

2	3	4	5	6	7	8	9	10
403 एम/9-1-97 दिनांक 1?-7-97 शासकीय आदेश अज्ञात	मुख्य प्रशौचालय विद्युत टीम मई	3800000 7850000 3870000	29-11-97 4-11-97 3-5-98	1253000 7378000 882000	– – –	1253000 7378000 882000		
775 के/9-1-97-30 एच-के-एम/97 दिनांक 23-1-98 2-12-97	भारत माता मंदिर रोड निर्माण हेतु	4627000	29-12-97	1457001	–	1457001	1757185-50	1,156
123? क/19-1-18-10 एच के एम-/97 दिनांक 23-1-98	रुड़की लश्कर मार्ग 15 कि0मी0	20,00000	17-3-98	3011000	–	3011000		
1233 के/9-1-97-98 दिनांक 3-2-98	जगदीशपुर रोड निर्माण कार्य	2898000	3-3-98	1663000	–	1663000		
1403 के/9-1-98-10 एच के एम	रुड़की लश्कर सड़क	1489000	अज्ञात	–		अज्ञात		
		26534000				1331800	1757185=50	115

क्रमांक शासनादेश जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्त तिथि	वर्षारम्भ में अवशेष	वर्ष प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष का व्यय	31 मार्च [illegible] को अवशेष
1--आई डी एस एम टी शासनादेश अप्राप्त	संगठित निकाय योजना	300000	31-3-96					
	एकीकृत निकाय योजना	3533000		6808639	-	6808639	179370265.	5014936=35
2-आ27/9-आ-1-97-6 आई डी एस एम टी/97	संगठित निकाय योजना	11000						
3-आ 27/8-1/9-आ-1-97-6 आई डी एस एम टी/97	राज्य अंशदान	113000	9296					
				6808639	-	6808639	1793702=65	5014936=35

(222) (123)

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तरांचल देहरादून
सम्परीक्षा आख्या भाग तीन
संस्था का नाम - निकाय अधिकरण हरिद्वार (22/1)
सम्परीक्षा अवधि वर्ष 1999-2000

टिप्पणी।— इस भाग में सम्मिलित किये जाने वाले
प्रस्तरों की संख्या शून्य रही।

सहायक निदेशक

...न्त प्रसाद श्रीवास्तव
...लेखा परीक्षक क्षेत्र प्रयाग

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग
पौड़ी मण्डल पौड़ी